UPSI010038252026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 2, सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–708/2026

सी०आई०एस० नं०–1669/2026

विपुल पाण्डेय आयु 35 वर्ष पुत्र स्व० मुकुट बिहारी निवासी ग्राम आमा घाट, थाना संदना, जिला सीतापुर। .....अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य .....विपक्षी

मु०अ०सं०–91/2026
धारा–331(4),305(ए),317(2),
345(3)बी०एन०एस०
थाना अटरिया, जिला सीतापुर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

1– मु०अ०सं0–91/2026, अन्तर्गत धारा–331(4),305(ए),317(2),345(3) बी० एन०एस०, थाना अटरिया, जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **विपुल पाण्डेय** की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा पंकज शुक्ला द्वारा थाने पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थी दिनाँक 22.04.2026 को अपनी बुआ के यहां एक मांगलिक कार्यक्रम में पूरे परिवार सहित इटौंजा गये थे, घर पर कोई मौजूद नहीं था। प्रार्थी दिनाँक 23.04.2026 को सुबह 05.30 बजे घर पर आये तो देखा कि बक्शे का ताला टूटा हुआ था। बक्शे में रखी ज्वैलरी, जिसमें सोने का हार 1.5 ग्राम, झुमकी एक जोड़ी, एक मांग बेंदी, पायल 250 ग्राम चार जोड़ी, सोने की चैन 1.5 ग्राम, सोने की अंगूठी, एक सोने की नथुनी, सोने का पाँच पत्ती वाला माला, दो जोड़ी झाला, चाँदी का बेलपत्र व चाँदी की त्रिशूल चोरी करके ले गये। उक्त चोरी को पड़ोस के रहने वाले अंकुश शुक्ला व निर्भय सिंह पुत्र लवलेश के द्वारा घर में घुसकर चोरी की गयी है। अंकुश असामाजिक किस्म का आपराधिक प्रवृत्ति का गिरोहबन्द व्यक्ति है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में लिए गए आधार इस आशय के हैं कि प्रार्थी को उक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है, जबकि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है जो उक्त धाराओं के अन्तर्गत आता हो। प्रार्थी का उक्त अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी विपुल पाण्डेय द्वारा कथित वाद में दिखायी गयी स्कार्पियो गाड़ी को किराये पर लखनऊ जाने के लिये बुक किया था, उक्त वाद का सह–अभियुक्त विनय कुमार जो स्कार्पियो गाड़ी का मालिक है, के साथ किराये पर लेकर लखनऊ जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा जबरदस्ती गाड़ी रुकवाकर प्रार्थी को थाने पर ले जाकर उसका फर्जी बरामदगी दिखाकर झूठा चालान कर दिया। प्रार्थी द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है। प्रार्थी एक सम्भ्रान्त व्यक्ति है, उसकी क्षेत्र में अच्छी छवि है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

4– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया।

5– सुना। पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

6– पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद नहीं है। पुलिस थाना अटरिया द्वारा जो बरामदगी दिखायी गयी है, पुलिस के समक्ष दिये गये कथनानुसार उसे अभियुक्त बनाया गया है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। इसी मामले में सह–अभियुक्तगण मो० फरीद एवं विनय कुमार की जमानत पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाँक 30.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनाँक 10.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विपुल पाण्डेय की ओर से मु०अ०सं0–91/2026, अन्तर्गत धारा–331(4),305(ए),317(2),345(3) बी०एन०एस० थाना अटरिया, जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/– (पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर रिहा किया जाता है–

1. अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उन्हें उत्प्रेरणा धमकी या वचन नहीं देगा।
2. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।
3. अभियुक्त साक्ष्य प्रभावित नहीं करेगा तथा प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
4. अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण पर दबाव नहीं बनाएगा तथा मुकदमे के परीक्षण में सहयोग करेगा।
5. जब तक कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जाएगी, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–2, सीतापुर।
JO Code No.UP 6013

दिनाँक–23.06.2026

Sandeepsteno/–